(c) the steps taken to stop the entry of these arms into the country?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI INDRAJIT GUPTA): (a) to (c) While there are no confirmed reports about militants of the North Eastern States procuring arms from the Khmer Rouge, they are known to be procuring arms from the Ranong coast of Thailand where arms belonging to several ethnic groups in South East Asia are comparatively easy to procure. The possibility of some of these arms belonging to the Khmer Rouge cannot, however, be ruled out. In the past arms and ammunition clandestinely procured through sources in Thailand were brought by ships in small consignment to areas in Bangladesh and then transported overland into North Eastern States. Government have taken up our security concerns, including the procurement of arms and ammunition clandestinely, with the Governments of Thailand and Bangladesh.

Changes in dot tendering policy

*312. SHRI SANJAY DALMIA:
SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the call made by FICCI for drastic changes in DOT tendering policies particularly in the circles for which service providers have decided by sharing open to unlimited players; and

(b) if so, what is Government's reaction thereto in view of the fact that this Task Force of FICCI is headed by none other than the ex-Chairman of Telecom Commission?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VARMA): (a) The Government has received a copy of the report of the Task Force from FICCI. However, the Government is not aware of a decision of any service provider for sharing open to unlimited players.

(b) The Government has no plan, at present, to change the existing policies. However, appropriate inputs of the report would be kept in view for future policy formulation.

सभी गांवों में टेलीफोन की सुविधाएं

*313. **श्री नागमणि :**
श्री ईश दत्त यादव :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी गांवों में टेलीफोन की सुविधाएं प्रदान करने हेतु एक समय-बद्ध योजना शुरू करने के संबंध में निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो गत-तीन वर्षों के दौरान कितने गांवों में टेलीफोन की सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान निर्धारित किए गए तथा प्राप्त किए गए लक्ष्यों में क्या अंतर है तथा वर्ष 1997-98 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां। सरकार की नीति है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश के प्रत्येक गांव को कम से कम एक सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान कर दिया जाए।

(ख) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान गांवों में

सार्वजनिक टैलीफोन प्रदान करने के लिए लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं :–

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1994–95	50000	47,604
1995–96	105000	31,496
1996–97	75000	56,719

(ग) पूर्वोक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्य और प्राप्ति के बीच का अंतर निम्नानुसार दिया गया है :—

1994–95	2396
1995–96	73504
1996–97	18281

वर्ष 1997–98 के लिए 83000 का लक्ष्य निर्धारित है ।

गुजरात में बुनकरों को न्यूनतम वेतन

*314. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कच्छ में हथकरघा निगम के बुनकरों को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को उन्हें औद्योगिक मजदूरों के समतुल्य मानने का निर्देश दिया है ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ; और

(ङ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के संबंध में श्रम मंत्रालय के स्थायी आदेशों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा): (क) से (घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की कोई जानकारी नहीं है । श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने सूचित किया है कि गुजरात सरकार द्वारा हथकरघों में रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं की गई है । यद्यपि इस मामले में विस्तृत सूचना इकत्रित की जा रही है ।

(ङ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत गुजरात सरकार अपने क्षेत्र में रोजगार के सम्बन्ध में अधिनियम प्रावधानों को कार्यान्वित तथा लागू करने के लिए जिम्मेदार है । राज्य सरकार द्वारा अपने श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु प्रवर्तन मशीनरी की भी स्थापना की गई है । श्रम मंत्रालय भारत सरकार ने समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि प्रवर्तन मशीनरी की प्रभावकारिता में सुधार लायें ।

Working of local bodies

*315. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the working of local bodies in the States is being examined by Government;